राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(एल.पी.एण्ड एस.एच. जी. अनुभाग)

☎ 0141-2227052 ✉ PDLPSHG@RAJASTHAN.GOV.IN Website: rdprd.rajasthan.gov.in

F7(111)RD/ACCTS/6/PAC REPORTS II/2014-15/2015-03075/3308-310 जयपुर, दिनांक 16-6-2025

जिला कलक्टर– बीकानेर ।

विषयः–स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं संबंधी समिति वर्ष 2014–15 के द्वितीय प्रतिवेदन में सम्मिलित सिफारिश संख्या–04 की अनुपालना के कम में तहसील कोलायत में स्टेडियम हेतु क्षतिपूर्ति भूमि देने बाबत।

संदर्भः– वित्तीय सलाहकार ग्रा.वि.वि की अ.शा.टिप्पणी दिनांक–07.04.2025 एवं 30.04.2025 एवं विभागीय पत्रांक–1783–1787 दिनांक–07.04.2025 एवं पत्र दिनांक 09.04.2025 , पत्रांक 2548–50 दिनांक 13.05.2025 ,,पत्रांक–2705–07 दिनांक 20.05.2025,पत्रांक 2994–96 दिनांक 09.06.2025 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं संबंधी समिति वर्ष 2014–15 के द्वितीय प्रतिवेदन में सम्मिलित सिफारिश संख्या–04 पर विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित अनुपालना पर स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं संबंधी समिति, वर्ष 2021–22 द्वारा प्रकरण में भूमि स्वामित्व परिवर्तन एवं दोषियों के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर समिति एवं महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

भूमि स्वामित्व परिवर्तन हेतु आपके द्वारा राजस्व (ग्रुप–3) विभाग को पत्र दिनांक–09.09.2022 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु राजस्व (ग्रुप–3) विभाग में संबंधित कार्मिक से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया गया था। राजस्व (ग्रुप–3) विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण के संबंध में दिनांक–26.04.2024 को जिला कलक्टर बीकानेर को पत्र जारी कर परिवेश पोर्टल पार्ट–II प्रविष्ट किया जाकर प्रकरण पुनः भिजवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है परन्तु जिला कलक्टर बीकानेर से आदिनांक तक भी प्रत्युत्तर अप्राप्त है। इस संबंध में आपसे विभागीय पत्रांक–1783–1787 दिनांक–25.03.2025 एवं दिनांक 09.04.2025 ,पत्रांक 2548–50 दिनांक 13.05.2025 ,पत्रांक–2705–07 दिनांक 20.05.2025, पत्रांक 2906–96 दिनांक 09.06.2025 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निरंतर निवेदन किया जा रहा है किन्तु आपके द्वारा आदिनांक तक भी प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किया जाना अत्यंत खेदजनक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय ऑडिट समिति की आगामी बैठक दिनांक–19.06.2025 से पूर्व राजस्व (ग्रुप–3) विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के सबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर द्वारा आपको अवगत करायी गयी वस्तुस्थिति से राजस्व विभाग को अवगत कराते हुए इस विभाग को प्रति पृष्ठांकित कराना सुनिश्चित करावें।

(श्रेया गुहा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविवि,

प्रतिलिपी :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–बीकानेर।
2. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।

RajKaj Ref No.: 15950678